

(आदेश 20 नियम 6.7 जा,दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

- 1.श्री हीरालाल पिता देवीलाल ढोली निवासी बड़ीसादड़ी तह. बड़ीसादड़ी  
- वादी

॥ बनाम ॥

- 1.श्री देवीलाल पिता उदयलाल रेगर नि.तह.बड़ीसादड़ी
- 2.श्री कमल पिता उदयलाल रेगर नि.तह.बड़ीसादड़ी
- 3.श्री जशोदा पिता उदयलाल रेगर नि.तह.बड़ीसादड़ी
- 4.श्री चान्दीबाई पिता उदयलाल रेगर नि.तह.बड़ीसादड़ी
- 5.श्री किशनलाल पिता भोलीराम रेगर नि. तह. बड़ीसादड़ी
- 6.श्री दुर्गाप्रसाद पिता भोलीराम रेगर नि. तह. बड़ीसादड़ी
- 7.श्री देवकिशन पिता हरजी रेगर नि. तह. बड़ीसादड़ी
- 8.श्री लालु पिता मोडा रेगर नि. तह. बड़ीसादड़ी
- 9.श्री मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई बैंक बड़ीसादड़ी
- 10.सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 32/2020 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. वादी की ओर से वकील श्री लक्ष्मण सिंह झाला और प्रतिवादी श्री हसन खां पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है। मौजा बड़ीसादड़ी की वाद ग्रस्त आराजी नं. 316,317 कुल कित्ता 2 रकबा 0.91 हैक्टर भुमि का विभाजन (बंटवाड़ा) पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है।

1. श्री हीरालाल पिता देवीलाल ढोली निवासी बड़ीसादड़ी तह. बड़ीसादड़ी के रहेगी।

आ.न.	रकबा	लगान	दिशा
317/2	0.2275	4.32	
योग 01	0.2275	4.32	
2. श्री देवीलाल,कमल,जशोदा,चान्दीबाई,पिता उदयलाल 1/9 किशनलाल,दुर्गाप्रसाद,पिता भोलीराम 2/9 देवकिशन पिता हरजी 1/3 लालु पिता मोडा 1/3 रेगर सा.बड़ीसादड़ी रहन ICICI शाखा बड़ीसादड़ी हिस्सा लालु का बदस्तुर			
आ.न.	रकबा	लगान	दिशा
316	0.2900	5.51	
317/1	0.3550	6.75	
317 मी.	0.0375	0.71	
योग 03	0.6875	12.97	

इस वाद के खर्च..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित.....को दी जावे। यह आज दिनांक. 07.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(बिन्दुबाला राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी

दिनांक:- 13/09/2021

क्रमांक/राजस्व/2021/136  
मुल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना की जाकर पालना से अवगत कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी

